

स्पेशल टार्स्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या: 379, दिनांक: 24–12–2024

पुलिस अभियंक से फरार जनपद खगड़िया, बिहार के अभियोग में वांछित चल रहा रु0 1,00,000/- का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी धर्मवीर यादव को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 एवं एस0टी0एफ0 बिहार की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार।

दिनांक: 24–12–2024 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को थाना चित्रगुप्त, जनपद खगड़िया बिहार के मु0अ0स0 701/21 धारा 341/323/353/188/224/34 भादवि के अभियोग में वांछित रु0 1,00,000/- का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी धर्मवीर यादव को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 एवं एस0टी0एफ0 बिहार की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरण:-

धर्मवीर यादव पुत्र स्व0 रामानंद यादव निवासी मोरकाही, थाना अलौली, जिला खगड़िया, बिहार।

गिरफ्तारी का दिनांक समय / स्थान:-

दिनांक 24–12–2024 समय 12.10 बजे, एनआरआई कट के पास से थाना बीटा–2 गौतमबुद्धनगर क्षेत्र।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण में व श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ नोएडा के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उल्लेखनीय है कि एसटीएफ बिहार पुलिस द्वारा पूर्व से ही उपरोक्त अभियोग में वांछित चल रहे रु0 1,00,000/- के पुरस्कार घोषित अपराधी धर्मवीर यादव पुत्र स्व0 रामानंद यादव निवासी मोरकाही, थाना अलौली, जिला खगड़िया, बिहार के सम्बन्ध में पतारसी सुरागरसी हेतु एसटीएफ उ0प्र0 से सूचना का आदान–प्रदान किया गया था। इसी क्रम में उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य, एसटीएफ नोएडा द्वारा एसटीएफ की टीम व बिहार एसटीएफ की टीम के साथ अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के दौरान आज दिनांक 24–12–2024 को उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य मय फोर्स के अभियुक्त धर्मवीर यादव, उपरोक्त की तलाश में थाना बीटा–2 गौतमबुद्धनगर क्षेत्र में भ्रमणशील थे, तो उसी दौरान उनको मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना अलौली जनपद खगड़िया बिहार पर पंजीकृत मु0अ0स0 701/21 धारा 341/323/353/188/224/34 भादवि के अभियोग में वांछित अपराधी धर्मवीर यादव, एन0आर0आई0 कट परीचौक के पास कही जाने हेतु खड़ा है। मुखबिर से प्राप्त सूचना पर एसटीएफ उ0प्र0 एवं बिहार एसटीएफ की संयुक्त टीम के द्वारा तत्काल त्वरित कार्यवाही करते हुए घेराबंदी करके अभियुक्त धर्मवीर यादव को समय करीब 12.10 बजे उक्त स्थल से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त धर्मवीर यादव ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 35 साल है और वह इन्टरमीडिएट पास है। बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2014 में थाना अलौली जनपद खगड़िया बिहार क्षेत्र में ईट भट्टे पर काम करने वाले मुन्शी आलोक का अपहरण कर लिया था जिसके सम्बन्ध में थाना अलौली खगड़िया, बिहार पर मु0अ0स0 101 / 2014 धारा 364 / 386 / 34 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ। अभियुक्त धर्मवीर यादव ने अपने परिजनों के साथ मिलकर वर्ष 2016 में जमीन के विवाद के सम्बन्ध में अपने गाँव के पास के रहने वाले राजेश यादव पुत्र कुलदीप यादव की हत्या कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अलौली, जनपद खगड़िया पर मु0अ0स0 165 / 16 धारा 364 / 302 / 120बी / 34 भादवि एवं 27 आर्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में पुलिस द्वारा अभियुक्त के पिता एवं भाई को गिरफ्तार किया गया था तथा वह मौके से भाग गया था। इसके बाद वर्ष 2017 में थाना हाजीपुर बिहार पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्मवीर यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्त धर्मवीर यादव ने जेल में निरुद्ध रहते हुए जेल से भागने की योजना बनायी थी और एक दिन अभियुक्त धर्मवीर यादव द्वारा अपने सीने में दर्द का बहाना बनाया गया और जब पुलिस उसको उपचार हेतु जेल से सदर अस्पताल, खगड़िया ले जा रही थी तो मौका पाकर अभियुक्त धर्मवीर यादव पुलिस अधिकारी से फरार हो गया था और अपनी गिरफ्तारी के डर से अपना नाम छिपाकर अनमोल राय एवं अमित के नाम से दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में रह रहा था।

पुलिस अधिकारी से फरार की घटना के सम्बन्ध में थाना चित्रगुप्त, खगड़िया बिहार पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त धर्मवीर यादव वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर अपर पुलिस महानिदेशक(अभि0) बिहार पटना के पत्रांक 2529 / अभियान(SIG) दिनांक 26 नवम्बर 2024 के द्वारा रु0 1,00,000/- का पुरस्कार घोषित हो रखा था।

गिरफ्तार अभियुक्त धर्मवीर यादव, उपरोक्त के विरुद्ध निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है—

क्र0सं0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	101 / 14	364 / 386 / 34 भादवि	अलौली	खगड़िया बिहार
2	60 / 14	364 / 34 भादवि	अलौली	खगड़िया बिहार
3	225 / 16	147 / 148 / 149 / 353 / 504 भादवि एवं 25(1बी) / 26 / 27 / 35 आर्स एक्ट	सहरसा	बिहार
4	165 / 16	364 / 302 / 120बी / 34 भादवि एवं 27 आर्स एक्ट	अलौली	खगड़िया बिहार
5	121 / 17	341 / 323 / 385 / 386 / 504 / 506 / 34 भादवि	अलौली	खगड़िया बिहार
6	820 / 17	25(1-बी)26, 26 II and 8/20 B NDPS Act	हाजीपुर टाउन	वैशाली बिहार
7	701 / 21	341 / 323 / 353 / 188 / 224 / 34 भादवि	चित्रगुप्त	खगड़िया बिहार

एसटीएफ उ0प्र0 एवं एसटीएफ बिहार टीम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान अभियुक्त धर्मवीर यादव, को गिरफ्तार कर थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर में दाखिल किया गया। तदोपरानत विधिक प्रक्रिया के पश्चात अभियुक्त धर्मवीर यादव को एसटीएफ बिहार के सुपुर्द किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही एसटीएफ बिहार पुलिस द्वारा की जा रही है।